



कार्यालय पुलिस उपायुक्त काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी
प्रेस-नोट

दिनांक:-11.06.2024

विषय:-ऑपरेशन कन्विकशन के तहत अभियुक्त विकास बिन्द को आर्म्स एक्ट के प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि व कुल 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना-सिगरा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 343/2012 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विकास बिन्द पुत्र गुप्ता लाल बिन्द बिन्द निवासी डी-59/302 निराला नगर शिवपुरवा सिगरा वाराणसी को थाना सिगरा पुलिस व मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 11.06.2024 को मा0 न्यायालय JM-2 जनपद वाराणसी द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त विकास बिन्द उपरोक्त को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व कुल 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
जोन-काशी कमिश्नरेट-
वाराणसी